इन्डा भ्रातृ मण्डल

दिल्ली

कार्यालय ४/६ पंचकुइयां रोड़,

नई दिल्ली ।

: अप्रैल ५, १९६०

चैत्र २४, २०१६

राम नवमी

- १- ग्रामोन्नति हेतु भ्रातृ-भावना को यथा पूर्व स्थायित्व देने के लिए निजी सहकारिता एवं सदभावना का पूर्ण ध्यान रखना ।

२- ग्राम में धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक विकास के लिए शास्त्र सम्मत प्रत्येक सम्भव प्रयत्न को स्थान देना ।

संविधान

इस संस्था का नाम 'ग्राम इन्डा भ्रातृ मंडल' होगा ।

ग्राम में अथवा अन्यत्र स्थित प्रत्येक कुटुम्ब को भ्रातृ मंडल में केवल एक ही सदस्यता का स्थान प्राप्त हो सकेगा ।

(अ) एक ही कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्य बनने पर उस कुटुम्ब को ग्राम का विशेष शुभ-चिन्तक माना जायगा ।

मंडल का सदस्यता-शुल्क एक रुपया मासिक प्रति सदस्य होगा जो प्रत्येक सदस्य को हर माह के मध्य तक कोषाध्यक्ष के पास जमा करना होगा ।

यदि कोई सदस्य अपने रोजगार से अवकाश पर दिल्ली से बाहर चार महीने तक रह कर पुन: वापस आगया हो तो उसे पिछले बकाया शुल्क के साथ नया शुल्क सुविधानुसार कोष में जमा करना होगा ।

यदि कोई सदस्य चार महीने से अधिक समय के लिए दिल्ली से बाहर रहा हो और पुन: दिल्ली लौट आया हो तो उसकी इच्छानुसार ही पिछला बकाया शुल्क जमा किया जायगा अन्यथा एक रुपया अतिरिक्त शुल्क जमा कर नई सदस्यता प्राप्त की

जा सकेगी ।

६- अन्य नगरों में स्थित, ग्रामनिवासी व्यक्ति भी मंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकेगा । परन्तु नियम संख्या चार व पांच उस पर लागू नहीं होंगे

७- प्रत्येक निस्वार्थ सदस्य व नि:शुल्क कार्य कर्ता के अधिक से अधिक ग्रामो- सेवाओं के लिए मंडल द्वारा उसके प्रति विशेष सम्मान प्रकट किया जाये

८- कार्य कारिणी की बैठक प्रत्येक मांह के द्वितीय सप्ताह में होंगी और वार्षिक अधिवेशन वर्षारम्भ के प्रत्येक शुभ-दिवस 'रामनवमी' को होगा

९- प्रत्येक सदस्य को किसी भी समय आय-व्यय के निरीक्षण करने अथवा कोषाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होगा ।

१०- मंडल में शिक्षित-अशिक्षित; धनी-निर्धन तथा वर्णों के भेद-भाव को नष्ट कर प्रत्येक सदस्य को समानाधिकार होंगे ।

मंडल द्वारा ग्राम की आदर्शता तथा रमणीयता को ध्यान में रखते हुए निम्न चरित्र निर्माण व सुधार कार्यों की सुव्यवस्था के लिए एकमत हो कर ग्राम पंचायत की साग्रह सहायता की जा सकेगी :-

(१) सम्पूर्ण मार्गों की मरम्मत व सुव्यवस्था ।

(२) प्रत्येक जलाशय की शुद्धि व सुरक्षा ।

(३) ग्राम व ग्राम के चारों ओर शुद्ध वायु मंडल के लिए सफाई का विशेष ध्यान ।

(४) ग्राम के अन्तर्गत, ईंधन, घास, खाद व यथेष्ट जल प्राप्ति हेतु तथा न्यूनतम भूक्षारण के लिए जंगलों सम्पूर्ण निजी अथवा पंचायती वृक्षों का निर्माण, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा ।

(५) प्रत्येक देवालय व ग्राम देवता के पूजनीय स्थानों की स्वच्छता व सुरक्षा

(६) सदन में होली, दशहरा, दीवाली अथवा अन्य धार्मिक उत्सवों के अवसर पर सामूहिक पूजा-पाठ, भजन, संकीर्तन तथा नाटक, ड्रामा, प्रहसन आदि के लिए रंगमंच की स्थापना ।

(७) ग्र[illegible] का कुल देवता के सात्विक पूजा-अर्चन हेतु वेद व शास्त्रों के तरीके से [illegible] वृत्ति की समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रचार कार्य तथा उत्तम चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना ।

(ङ) आधुनिक वैज्ञानिक युग तथा प्राचीन आध्यात्मिक युग का सामंजस्य कर मानव धर्म को ध्यान में रखते हुए, ग्राम के अथवा मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा किये गये अवांछनीय कार्यों, कुरीतियों व रूढ़िवादिता, अभद्रता के प्रति मंडल द्वारा रोष व घृणा प्रकट कर रोक-थाम करने का प्रयत्न ।

ग्राम के प्रत्येक बालक व बालिका को कम से कम प्राथमिक-शिक्षा प्राप्त हो पाठशाला भेजने के लिए ग्राम पंचायत तथा संरक्षकों से अनुरोध करना ।

(ब) प्राथमिक शिक्षा-प्राप्ति के लिए असमर्थ बच्चों के शिक्षा शुल्क आदि की व्यवस्था मंडल द्वारा की जा सकेगी ।

प्रत्येक कुटुम्ब सदस्य के संकट कालीन + समय में मंडल द्वारा ग्राम पंचायत की सहायता से विचार कर ऋण के रूप में उचित आर्थिक व खाद्य वस्तुओं को प्रदान कर सेवा की जा सकेगी ।

+ संकट काल की परिभाषा:- (१) निःसहाय नाबालिक ।
(२) दैवी प्रकोप ।

मंडल को सुव्यवस्थित ढंग व सुचारू रूप से प्रसारित व प्रचारित करने के लिए निम्न पदाधिकारियों का सदस्यों के समानाधिकार मतों द्वारा वार्षिक निर्वाचन होगा । समान मत प्राप्ति पर तत्कालीन सभापति को दो विशेष मत प्रदान का अधिकार होगा :-

(१) प्रधान	(२) उप प्रधान	(३) मंत्री
(४) कोषाध्यक्ष	(५) उप मंत्री	(६) प्रचारक - २

कार्यकारिणी के सदस्य स्थान = ६

योग:- तेरह

मंडल के सम्पूर्ण धन को सभी सदस्यों से एकत्रित कर कोषाध्यक्ष अपने कोष में स्थाई व्यवस्था न होने तक सुरक्षित रख सकेगा जो मंडल द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर ग्रामोन्नति, चारित्र निर्माण, आवश्यकीय वस्तुओं को जुटाने तथा ग्राम के प्रगतिशील सुधार कार्यों पर ही व्यय किया जा सकेगा ।

१६- प्रत्येक धन-राशि को व्यय करने हेतु प्रधान के समर्थन से मंत्री का [illegible] की किसी भी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा और का० का० [illegible] स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर ही कोषाध्यक्ष को धन प्राप्ति [illegible] आज्ञा पत्र प्रेषित कर सकेगा और कोषाध्यक्ष को निर्दिष्ट व [illegible] स्वीकृत धन को कोष से प्रदान करना होगा ।

१७- कार्यालय तथा कोष सम्बन्धी सम्पूर्ण कागज़ों, रजिस्टरों मुहरे, [illegible] व्यय का विवरण व चिट्ठीं तथा तमाम कार्य विधियों के लिए [illegible] प्रधान मंत्री और कोषाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।

१८- आवश्यकतानुसार उपरोक्त नियमों में समयानुकूल संशोधन किया जा सकेगा ।

5/4/60

5/4/60